

# राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)


क्रमांक: पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2019 / 831

दिनांक: 29/4/19

## —:आदेश:—

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की बैठक दिनांक 12.04.2019 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति पाठ्यक्रम Rs. 25000/- मान्यता शुल्क देय है। कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित साधारण मान्यता शुल्क दिनांक 13.05.2019 तक आवश्यक रूप से डी.डी. के रूप में कौंसिल में जमा करवाए। दिनांक 14.05.2019 से 18.05.2019 तक विलम्ब शुल्क 5000/- रूपयें प्रतिकोर्स के साथ जमा कराना होगा।

निकट भविष्य में नये शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नहीं करवाने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करते हुए उन्हें प्रवेश-प्रक्रिया व काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।


  
(सोमदत्त/दीक्षित)  
आर.ए.एस.  
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / मान्यता / 2019 / 831

दिनांक: 29/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
5. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
6. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त समस्त पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भेजकर लेख है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र भी मान्यता शुल्क के साथ संलग्न कर भिजवावें।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

  
रजिस्ट्रार